

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू (राँची)।

U/S 15 OF THE BIHAR TENANT'S HOLDINGS (MAINTENANCE OF RECORDS) ACT, 1973

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-31/2020-21

1. सम्पति देवी पति-शैलेन्द्र महतो, सा०-डिम्बुडीह, पो०-बारेडीह, थाना-तमाड,  
जिला-राँची.....अपीलार्थी।

बनाम

1. झारखण्ड सरकार द्वारा अंचलाधिकारी, बुण्डू.....विपक्षी।

आदेश

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी ने अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०-387 R27/2018-2019/बुण्डू में दिनांक-31/05/2019 को पारित आदेश के विरुद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
बुण्डू	बुण्डू	28	142	5163	05 डिसमील

चौहद्दी:- उ०-राजकुमार महतो, द०-विक्रेता नीज,  
पू०-राजेश कुम्हार, प०-प्रस्तावित रास्ता 10 फीट चौड़ा।

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०-387 R27/2018-2019/बुण्डू का ऑनलाईन जनित अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिसमें राजस्व कर्मचारी के मंतव्यानुसार आवेदित भूमि संयुक्त खाते की भूमि है एवं आवेदन में बँटवारानामा से संबंधित कागजात संलग्न नहीं है, अतएव इसी आधार पर नामांतरण अस्वीकृत की गयी है। इस संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उपरोक्त भूमि का पूर्व में बँटवारा हो चुका है। अतः इस अपील वाद को स्वीकृत किया जाय।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी को पुनः सुनते हुए वांछित दस्तावेजों को प्राप्त कर उनकी जाँच-पड़ताल करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

निम्न न्यायालय को इस आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।  
लेखापित एवं संशोधित।

४:२३/०३  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
बुण्डू(राँची)।

४:२३/०३  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
बुण्डू(राँची)।